जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांकःएफ/महा.वि.प./2011/3487

दिनांकः 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : आर.एस.सी. कॉलेज, झांसी रोड़, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. जे.के. मिश्रा, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

2. डॉ. विभा शुक्ला, शासकीय महाविद्यालय, दतिया

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपिः-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. **प्राचार्य, आर.एस.सी. कॉलेज, झांसी रोड़, ग्वालियर** की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।	ग्राम : यूनीवर्सिटी दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय) 2442462 (निवास) फैक्स : (0091-0751-2341768 E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

दिनांक : 11/05/12

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4880

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार आर.एस.सी. कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय की मान्यता एन.सी.टी.ई. द्वारा 2005-06 में प्रदान की गई थी, तदोपरांत नियम 18 के अन्तर्गत निरस्त की गई द्वारा (08.04.2009) को।
2. म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा WP No/7541/11 के द्वारा एन.सी.टी.ई. के उक्त आदेश का अपास्त किया गया है। तदापि एन.सी.टी.ई. द्वारा अभी तक कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया है।
3. उच्च न्यायालय के उसी आदेश से म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2010-11 में प्रवेश किये गये है।
4. तदापि महाविद्यालय द्वारा नवीन भवन बना लिया गया है। जिसे विकसित किया जाना है। एवं 20(17) में सभी नियुक्तियां किया जाना शेष है।
5. अतः वर्ष 2010-11 के छात्रों की परीक्षा कराने हेतु उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।
6. तदापि, वर्ष 2011-12 की सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. की मान्यता प्राप्त तथा नियुक्तियां करना एवं परिनियम 27-28 का पालन सुनिश्चित करायी जावें।

आदेशानुसार
[signature] 53
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर.एस.सी. कॉलेज, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature]
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

E:\Yogi\2012\Adhisoochna.doc